राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1155/2024

हेमराज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांवट, खण्डेला जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांवर खण्डेला, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2015 के द्वारा वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई। परंतु अपीलार्थी की दिनांक 10.07.2004 को दो से अधिक संतान होने के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। राज्य सरकार ने दिनांक 16.03.2023 को अधिसूचना जारी करते हुये समस्त सेवा नियमों में संशोधन किया और परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के अनुसार यह निर्देश जारी किये गये कि वर्ष 2019–20 तक

उन कार्मिकों की पदोन्नति भी रिव्यू डीपीसी आयोजित कर की जायेगी, जिस दिनांक को पदोन्नति ड्यू हो गई थी और वेतन ऐसी पदोन्नति पर उस वेतन पर जिसे वह आहरित कर रहा है, पुनः नियत किया जायेगा, परंतु कोई बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा। अपीलार्थी को न तो कोई पदोन्नति प्रदान की गई और न ही वेतन निर्धारण किया गया। जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के आधार पर अपीलार्थी वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.10.2015 के अनुसार वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर दिनांक 01.04.2014 से वेतन निर्धारण किया जावे एवं शेष राशि का भुगतान भी किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांवर खण्डेला, सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य